स्थानीय स्वायत्त शासन

नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण
पुस्तिका श्रृंखला
४

संवैधानिक संवाद केन्द्र
CENTRE FOR CONSTITUTIONAL DIALOGUE

संवैधानिक संवाद केन्द्र

प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र

पहला संस्करण : २०६५ साल

प्रतिलिपि अधिकार © संवैधानिक संवाद केन्द्र सर्वाधिकार सुरक्षित ह । सामाग्री कें स्रोत के रुप में संवैधानिक संवाद केन्द्र के प्रति साभार व्यक्त कके गैरव्यवसायिक प्रयोजन खातिर ई पुस्तिका के अंश के पुनःप्रकाशन आ/वा अनुवाद के एगो प्रति संवैधानिक संवाद केन्द्र के उपलब्ध करावें के पडी ।

साज सज्जा आ मुद्रण

प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिङ, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौ ।

ज्यादा जानकारी खातिर वा ई पुस्तिका खातिर नीचे दिहल पता में सम्पर्क कइल जाय ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र

तीसरा तला, अल्फा वेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर काठमाडौ ।

टेलिफो नं ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८

ई-मेल : **info@ccd.org.np**

वेबसाइट : **www.ccd.org.np**

स्थानीय स्वायत्त शासन

४

स्थानीय स्वायत्त शासन १
परिचय १
स्थानीय स्वायत्त शासन के सिद्धान्त १
वित्तीय स्वायत्तता ३
नेपाल में स्थानीय स्वायत्त सरकार कानून ४
स्थानीय निकाय के काम कर्तव्य ५
स्थानीय प्रशासनिक यथार्थ ६
संविधान सभा के चुनौती ७

स्थानीय स्वायत्त शासन

परिचय

प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण निमन शासन के एगो तत्व भइला का साथे लोकतान्त्रिक अभ्यास के अभिव्यक्तियो ह । प्रभावकारी जनप्रशासनो खातिर ई एगो पूर्वशर्त ह । राष्ट्रीय आ क्षेत्रीय निकायन का साथे निर्वाचित स्थानीय निकाय सब भी लोकतान्त्रिक शासन आ प्रशासन के प्रमुख कर्ता हवे, ई बात मान्यता प्राप्त कर चुकल बा । ई सब राष्ट्रीय आ क्षेत्रीय निकायन से सहकार्य कइला का साथ साथ एह सब के सार्वजानिक कार्य के अपने स्वायत्त क्षेत्र भी हो सकेला । राष्ट्र के स्वरूप संघीय, क्षेत्रीय आ एकात्मक जौन भी होखे, लोकतन्त्र के एगो अत्यावश्यक तत्व के रूप में स्थानीय लोकतन्त्र रहेला ।

नागरिक लोग के सब से नजदीक रहेवाला निर्वाचित निकायन के सार्वजानिक उत्तरदायित्व बहन करेके चाहीं । सामान्य रूप में सम्बन्धित अधिकार के स्पष्ट करे खातिर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय आ स्थानीय उत्तरदायित्वन के संविधान आ कानून द्वारा ही स्पष्ट कइल जाएके चाहीं । विकेन्द्रित संस्थानन के दिहल काम सम्पादन करे खातिर ओह सब के आवश्यक साधन श्रोत में पहुँच के ग्यारेण्टी भी संविधान द्वारा ही होखेके चाहीं ।

नेपाल के पछिला इतिहास में स्थानीय सरकार कमजोर भा निष्क्रिय रहल देखल गइल बा । ग्रामीण आ शहरी दुनू क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण आ विकास के सिद्धान्त पर आधारित स्वायत्त शासन पद्धति लागु करेके अपेक्षा संवैधानिक आ कानूनी व्यवस्था सब कइले बा । नेपाल के आवश्यकता खातिर व्यावहारिक आ उत्तरदायी भइला का साथे बढ़ियाँ आ प्रजातान्त्रिक शासन के अन्तरराष्ट्रीय मापदण्ड के अनुरूप रहल स्थानीय सरकार पद्धति के कार्यान्वयन करे खातिर उल्लेख्य ढंग से कानूनी आ प्रशासनिक सुधार करेके वर्तमान स्थिति आह्वान कइले बा । नयाँ संविधान के मस्यौदा तैयारी से एह क्षेत्र में फेर से नजर पहुँचावेके आ स्थानीय शासन सम्बन्धी बृहत आ नयाँ अवधारणा तैयार करेके अवसर उपलब्ध भइल बा ।

स्थानीय स्वायत्त शासन के सिद्धान्त

स्थानीय स्वायत्त शासन के ढाँचा, एकर शक्ति संरचना आ कार्यक्षेत्र हरेक देश में फरक फरक होखेला । उदाहरण खातिर, कई बड़ा शहरी प्रशासन के वित्तीय, मानवीय आ प्रशासनिक साधन श्रोत सब कई अन्य राष्ट्र सब से बेसी होखेला ।

स्थानीय सरकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय मापदण्ड आ बढ़ियाँ अभ्यासन के विकास सापेक्षिक रूप में पछिला लहर ह । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवीय बसोबास कार्यक्रम संचालन परिषद सन २००७ अप्रिल में सभी तह में सुशासन करेवाला आ स्थानीय निकायन के सशक्त बनावेवाला प्रमुख साधन के रूप मे 'स्थानीय निकायन के विकेन्द्रीकरण आ सशक्तीकरण मार्गनिर्देशिका' पारित कइले रहे । एह मार्गनिर्देशिका के संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा अनुमोदनो कइले रहे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ सरकारन के एही मार्गनिर्देशिका अनुरूप शासन आ विकास नीतियन के केन्द्र में विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय विकास के राखे खातिर सब तह के विकेन्द्रीकरण आ शासन के सन्दर्भ में एकर कानूनी आ संस्थागत संरचनन के सशक्त बनावे के आह्वान कइले बा ।

एह मार्गनिर्देशिका में स्थानीय शासन आ विकेन्द्रीकरण के लोकतान्त्रिक, संवैधानिक/कानूनी आ प्रशासनिक पक्ष में निहित मुख्य सिद्धान्त सब प्रस्तुत कइल गइल बा । ओही समय में, पृथक राज्य प्रचलन सहित राज्य के स्वरूप (संघीय, क्षेत्रीय भा एकात्मक) के निश्चित अवस्था में एह सब के प्रयोग कइल जाएके चाहीं ।

राष्ट्रीय कानून आ संविधान में स्थानीय निकाय के कानूनी स्वायत्त उपराष्ट्रीय निकाय के रूप में स्वीकारल जाएके चाहीं । राष्ट्रीय कानून आ संविधान द्वारा स्थानीय निकाय गठन के शैली, ओकर शक्ति के प्रकृति, अधिकार, उत्तरदायित्व, कर्तव्य आ काम के क्षेत्र निर्धारण कइल जाएके चाहीं । सरकार के उच्च क्षेत्र के सन्दर्भ में स्थानीय निकायन के भूमिका आ उत्तरदायित्व के कानूनी प्रावधानन के स्पष्ट रूप से उल्लेख होखेके चाहीं । ओकनी के क्षेत्र भा क्षमता से बाहर के भूमिका आ उत्तरदायित्व ही अन्य निकायन के देहल जाएके चाहीं । राष्ट्रीय भा क्षेत्रीय निकायन द्वारा स्थानीय निकायन के दिहल अधिकार सहित ओकनी के आपन अधिकार कानून से निर्धारण भइल सीमा के भीतर स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग करेके मिलेके चाहीं । ई अधिकार सब पूर्ण आ अविभाजित होखेके चाहीं आ कानून से व्यवस्थित भइला का अलावा अन्य कौनो निकाय से कमजोर, सीमित आ अवरुद्ध ना कइल जाएके चाहीं ।

स्थानीय निकायन के सुपरीवेक्षण संविधान आ कानून द्वारा व्यवस्था भइल प्रक्रिया सब के अनुरूप ही होखेके चाहीं । ई सुपरीवेक्षण कानूनी निकाय के ऐन के वैधता के उत्तरकालीन प्रमाणीकरण (a posteriori Verification) में सीमित होखेके चाहीं आ एकरा स्थानीय निकाय के स्वायत्तता के प्रति सम्मान देवेके चाहीं । स्थानीय परिषद सब के निलम्बन भा विघटन, स्थानीय कार्यकारी सब के निलम्बन आ बर्खास्तगी के बाद कानून के निर्देशन पर कम से कम समय में एकर काम पुनरारम्भ कइल तय होखेके चाहीं । स्थानीय निकायन के आन्तरिक प्रशासन संरचना के निर्धारण, ओह संरचना के स्थानीय आवश्यकता अनुकूल बनावेके काम आ

प्रभावकारी व्यवस्थापन के सुनिश्चित करेके काम जहाँ तक सम्भव बा, स्थानीय निकाय के ही देवेके चाहीं ।

साझेदार आ संघ गठन करेके स्वतन्त्रता स्थानीय सरकारन के मिलेके चाहीं । स्थानीय सरकारन के संघ के आपन अलगे राजनीतिक अस्तित्व रहेला आ प्रायः ई सब अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्क आ सहयोग पावेके प्रयास करत रहेलन । कुछ राष्ट्र में स्थानीय सरकार के संघ सब के स्थानीय सरकार सम्बन्धी मसला पर परामर्शदातृ भूमिका निर्वाह करेके संवैधानिक प्रत्याभूति के उपयोग करत रहेलन । नागरिक समाज के सम्पूर्ण पक्ष, खास कके गैर सरकारी संस्था आ समुदाय पर आधारित संस्था सब, निजी क्षेत्र आ अन्य ईच्छुक सरोकारवालन के साथ साझेदारी स्थापित करेके आ विकास करेके अधिकार स्थानीय निकायन के होखेके चाहीं ।

सार्वजानिक क्रियाकलाप में समाज के असमावेशी आ सीमान्तीकृत समुदायन आ क्षेत्रन के सहभागिता बढ़ावे खातिर पहल में भी स्थानीय सरकारन के विशेष भूमिका रहेला । निर्णय प्रक्रिया में आ सामुदायिक नेतृत्व सम्बन्धी कार्य सम्पादन में जनसहभागिता आ नागरिक संलग्नता के उपयुक्त स्वरूप सब के निर्धारण करेके अधिकार स्थानीय निकायन के देवेके चाहीं । अइसन स्वरूप में समाज, जनजातीय आ लैङ्गिक समूह सब आ अन्य अल्पसंख्यक वर्ग सब के सामाजिक आ आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के प्रतिनिधित्व खातिर विशेष व्यवस्था कइल जा सकेला ।

वित्तीय स्वायत्तता

प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण आ स्थानीय स्वायत्तता खातिर उपयुक्त वित्तीय स्वायत्तता आवश्यक बा । केन्द्रीय आ क्षेत्रीय शासन से स्थानीय निकायन के अधिकार निक्षेप भइल अवस्था में ओकनी के अधिकार प्रयोग करे खातिर आवश्यक साधन श्रोत के प्रत्याभूति होखेके चाहीं । स्थानीय अवस्था आ प्राथमिकता के अनुसार कार्य सम्पादन के शैली अपनावेके स्वतन्त्रता भी ओकनी के होखेके चाहीं । स्थानीय निकायन के आपन काम आ जिम्मेदारी पूरा करे खातिर व्यापक प्रकार के वित्तीय साधन श्रोत में पहुँच होखेके चाहीं । ओकनी के अधिकार के संरचना के भीतर स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग कर सकेके हिसाब से पर्याप्त साधन श्रोत भा रकमान्तर के ओकनी के हकदार बनावल जाएके चाहीं ।

स्थानीय निकायन द्वारा उपलब्ध करावल जाएवाला सेवा सब के खर्च खातिर आवश्यक वित्तीय श्रोत के महत्वपूर्ण अंश स्थानीय कर, शुल्क आ दस्तुर सब से संकलन कइल जाएके चाहीं ।

स्तम्भीय (राज्य आ स्थानीय अधिकारी सब के बीच) आ क्षितिजीय (स्थानीय निकायन के बीच) कके दुनू प्रकार के वित्तीय सामान्यीकरण पद्धति के माध्यम से वित्तीय सम्पन्नता सुनिश्चित कइल जाएके चाहीं । खास कके स्थानीय कर के आधार कमजोर भइल भा नाहिए रहल ठाँव में अइसन व्यवस्था होखेके चाहीं ।

नेपाल में स्थानीय स्वायत्त सरकार कानून

नेपाल के संविधान, २०१९ आ एकरा द्वारा संस्थागत कइल चाहल निर्दलीय पंचायती व्यवस्था के बृहत उद्देश्य विकेन्द्रीकरण के अवधारणा के कार्यान्वयन करेके रहे । गाँव, नगर, जिला आ अंचल स्तर पर स्थानीय निकाय सब गठन कइल गइल रहे । ओह वातावरण में प्रभावकारी स्थानीय स्वायत्त शासन भा शक्ति आ अधिकार के वास्तविक निक्षेपीकरण सम्भव ना रहल । अर्ध-प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भइला के बावजुद ऊ स्थानीय निकाय सब केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था द्वारा स्थापित कइल गइल प्रशासनिक निकाय अर्न्तगत के एकाई के रूप में ही सेवारत रहल ।

नेपाल अधिराज्य के संविधान, २०४७ के सब से कमजोर पक्ष में से एगो ई रहल कि एह में 'स्थानीय स्वायत्त शासन' खातिर संवैधानिक प्रत्याभूति के अभाव रहल । 'राज्य के निर्देशक सिद्धान्त' के अर्न्तगत कुछ सम्बन्धित पक्ष के उल्लेख भइल रहे । विकेन्द्रीकरण के माध्ययम से ओह प्रक्रिया में जनसहभागिता सुनिश्चित करे खातिर न्यूनतम संगठनात्मक आधार आ सैद्धान्तिक आधार के स्पष्ट परिभाषा करे में ई संविधान असफल रहल । एह संविधान में संवैधानिक कमजोरी भइलो पर नवनिर्वाचित बहुदलीय संसद द्वारा तैयार कइल गइल कानून अर्न्तगत सन १९९१ के बाद में नयाँ प्रजातान्त्रिक निकाय सब के गठन भइल रहल ।

एह तरे सन १९९९ के स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आ ओही ऐन के आधार पर ओह के कार्यान्वयन करे खातिर तैयार कइल गइल स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली द्वारा सन १९९१ के गाँव विकास समिति ऐन, नगरपालिका ऐन आ जिला विकास समिति ऐन के पूर्व व्यवस्था सब के एकीकृत रूप में पुनः स्थापित आ सम्मिलित कइल गइल । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नेपाल में स्थानीय शासन खातिर विद्यमान कानूनी आधार तैयार कइले बा ।

स्थानीय स्वायत्त शासन खातिर अलगे भाग (भाग १७) समावेश रहल नेपाल के पहिलका संविधान २०६३ साल के अन्तरिम संविधान ह । एकर धारा १३९ में उल्लेख भइल बा - 'स्थानीय स्तर से ही जनता के सार्वभौमसत्ता के प्रयोग करे खातिर अनुकूल वातावरण बनाके देश के शासन व्यवस्था में जनता के बेसी से बेसी सहभागिता प्रवर्द्धन करे खातिर आ जनता के स्थानीय

स्तर पर ही सेवा उपलब्ध करावे खातिर आ लोकतन्त्र के स्थानीय स्तर से ही संस्थागत विकास करे खातिर विकेन्द्रीकरण आ अधिकार के निक्षेपण के आधार पर स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकाय के निर्वाचन कइल जाई ।' ई ऐगो महत्वपूर्ण कदम ह आ ई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन द्वारा निर्धारित सिद्धान्त के ठोस बनइले बा । तबो स्थानीय सरकारन के कार्यान्वयनकारी स्वायत्तता के प्रत्याभूति करावे में ई अबो असफल बा आ स्थानीय निकायन के कार्य संचालन, साधन श्रोत आ उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में अपर्याप्त स्पष्टता मात्र उपलब्ध करा सकल बा । धारा १४० स्थानीय निकाय में समानुपातिक साधन श्रोत उपलब्ध करावेके आवश्यकता के मान्यता प्रदान कइले बा बाँकिर 'कानून में व्यवस्था भइल बमोजिम नेपाल सरकार आ स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकाय के बीच जिम्मेदारी आ राजस्व परिचालन आ बँटवारा होई ।' उल्लेख कके ई अपनेआप के सीमित बना चुकल बा । गाँव/नगर तह आ जिला तह संस्थागत क्रियाकलाप के प्रमुख क्षेत्र ह त अन्य तह सब गौण भूमिका निर्वाह करेलन । हर वार्ड आ हर ग्रामीण विकास क्षेत्र भा नगर में निर्वाचित निकाय सब क्रमशः वार्ड समिति, गाँव परिषद भा नगर परिषद होखेके चाहीं । गाँव विकास समिति प्रत्येक गाँव विकास क्षेत्र के कार्यकारी समिति ह आ एकर अध्यक्षता निर्वाचित गा. वि. स. अध्यक्ष से होएके चाहीं (गाँव विकास परिषद के बैठक भी उहे बोलावेलन ।) वार्डाध्यक्ष, वार्ड सदस्य लोग आ गा. वि. स. अध्यक्ष के क्रमशः वार्ड सब भा गाँव विकास क्षेत्र के आम मतदाता लोग निर्वाचित करेलन । वार्डाध्यक्ष लोग गाँव विकास समिति के सदस्य के रूप में रहेलन ।

स्थानीय निकाय के काम कर्तव्य

वार्ड सब के कुँड़ाकर्कट संकलन, नहर, मोरी आ बान्ह मरम्मत सम्भार, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय व्यवस्थापन में सहयोग आ परियोजना सुपरीवेक्षण से सम्बन्धित विभिन्न काम कर्तव्य सौंपल गइल बा । गा. वि. स. के काम कर्तव्य बहुत व्यापक बा । कृषि विकास, बाजार, पशुसेवा आ पशुरोग नियन्त्रण खातिर बन्दोबस्त, पीएवाला पानी के व्यवस्था, ग्रामीण सड़क आ पुल निर्माण आ मरम्मत सम्भार, प्राथमिक विद्यालय के स्थापना, आपन क्षेत्र आ विद्यालय के सुपरीवेक्षण आ व्यवस्थापन, प्रौढ शिक्षा के व्यवस्था, सिंचाई, भूक्षय आ नदी नियन्त्रण योजना, बिजुली उत्पादन, सामुदायिक भवन, भू-उपयोग योजना, स्थास्थ्य चौकी संचालन आ मरम्मत सम्भार बृक्षारोपण आ वातावरण संरक्षण, पर्यटकीय क्षेत्र आ धार्मिक स्थल के संरक्षण, जनसंख्या, घर, जमीन आ पशुधन के अभिलेख संकलन, जन्म आ मृत्यु दर्ता, प्राकृतिक विपत्ति नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य, अनैतिक क्रियाकलाप के नियन्त्रण आ आयमूलक क्रियाकलाप प्रवर्द्धन जइसन काम गा. वि. स. के करेके अपेक्षा कइल गइल बा (स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन) ।

सामाजिक सुरक्षण के सन्दर्भ में गा. वि. स. सब अन्य काम सब के अलावा असहाय, अनाथ आ अपाङ्ग लइकालइकी आ गाँव भीतर के महिला सब के उत्थान, आ महिला आ लइकालइकी के संरक्षण खातिर जिम्मेदार रहेलन। गा. वि. स. आ नगरपालिका के विकास गतिविधि खातिर मुख्य रूप में जिम्मेदार संस्था ह। ई सब के वार्षिक विकास योजना तैयार करेके पड़ेला, वस्तुपरक तथ्याङ्क संकलन करेके पड़ेला, सम्बन्धित क्षेत्र के श्रोत नक्सा तैयार करेके पड़ेला, सम्भाव्यता के अध्ययन करेके पड़ेला, परियोजना के छनोट के साथे एकर अनुगमन आ मूल्याङ्कन करेके पड़ेला आ गैर सरकारी संस्थन के समन्वय के काम करेके पड़ेला। नगरपालिका के कानूनी उत्तरदायित्व में गा. वि. स. के उपर बतावल गइल उत्तरदायित्वन के अलावा शहरी आवश्यकता से सम्बन्धित आ सामान्य रूप से उच्च श्रोत स्तर के जिम्मेदारी भी पड़ेला।

स्थानीय प्रशासनिक यथार्थ

स्थानीय शासन सम्बन्धी वर्तमान नियमन संरचना जटिल बा आ प्रायः अन्य कानून से टकराएवाला भी बा। द्वन्द्व आ स्थानीय तह में निर्वाचित प्रतिनिधि सब के अनुपस्थिति के कारण बितल कुछ साल में विकेन्द्रीकरण आ स्वायत्त शासन के क्षेत्र में उल्लेख्य प्रगति हासिल ना होखे सकल बात के सरकार खुदे स्वीकार कइले बा। विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया के प्रति ध्यानाकर्षण भइला के बादो स्थानीय निकाय के शक्ति आ अधिकार निक्षेपण करेके बाँकीए बा। अर्थपूर्ण वित्तीय विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन के दिशा में गम्भीर प्रयास के कमी बा। स्थानीय तह के कार्यक्रम संयोजन आ सुपरीवेक्षण करेके कानूनी अधिकार स्थानीय सरकार के ना दिहल गइल बा। स्थानीय शासन में लाभग्राही सब के पूर्ण सहभागिता खातिर स्पष्ट ढाँचा भा सामाजिक रूप में समावेश ना भइल वर्ग के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे खातिर संस्थागत प्रावधान सब उपलब्ध नइखे। (नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन-सन २००४)

सन १९९८ में निर्वाचित स्थानीय निकायन के कार्यावधि सन २००२ में समाप्त भइल आ एकरा बाद एह तह के कौनो निर्वाचन ना होखे सकल। अन्तरिम अवधि के बाद स्थानीय निकाय निष्क्रिय भइल। सन २००२ के बाद स्थानीय तह में बिना कौनो लोकतान्त्रिक निकाय के ही करीब सात वर्ष बित चुकल बा। २०६० साल में जारी भइल अध्यादेश नं १८ के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 'आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकायन के काम, कर्तव्य आ अधिकार प्रयोग' कर रहल बा। निर्वाचित गाँव परिषद आ गा. वि. स. अध्यक्ष ना भइला के कारण गा. वि. स. सचिव लोग कायममुकायम गा. वि. स. अध्यक्ष के रूप में काम कर रहल बा। एही प्रकार से नगरपालिका सब में कार्यकारी अधिकृत लोग आ जिला स्तर में स्थानीय विकास अधिकारी

लोग क्रमशः नगर प्रमुख आ जिला विकास समिति के सभापति के रूप में कार्यभार लेले बा। ई तत्कालीन समाधान से स्थानीय आ जिला स्तरीय शासन के पूर्ण रूप में ठप्प होखे से बँचवले बा। बाँकिर एकरा वजह से स्थानीय स्तर के सेवा के गुणात्मकता आ उपलब्धता के साथे सरकारी संस्थन के जवाफदेही आ उत्तरदायित्व उल्लेख्य रूप में प्रभावित भइल बा।

एकरा अलावा कुछ गा. वि. स. सचिव लोग नाम मात्र के साधन श्रोत आ पहुँच सम्बन्धी समस्या से पीड़ित बा। द्वन्द्व के कारण प्रशस्त सरकारी अधिकारी लोग के विस्थापित भइला का साथे पूर्वाधार सब ध्वस्त भइला के कारण स्थानीय सरकार के उपस्थिति आ कार्य सम्पादन उल्लेख्य रूप में प्रभावित भइल बा।

सम्बन्धित नियम सब के अनुरूप बजेट निकासा करावे खातिर स्थानीय निर्वाचित निकायन के विकल्प के रूप में जिला, नगरपालिका आ गाँव स्तर में अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन करेके निर्णय राजनीतिक दल सब द्वारा सन २००६ के सेप्टेम्बर में भइल। ई व्यवस्था सन २००६ के अन्तरिम संविधान में भी समावेश भइल। बाँकिर सर्वसम्मति के अभाव के कारण एह निकायन के गठन ना होखे सकल आ सात दलीय तदर्थ व्यवस्था अभ्यास में आइल। वर्तमान संयुक्त सरकार स्थायी समाधान के घोषणा कइले बा बाँकिर एह व्यवस्था के कार्यान्वयन भइल अभीन बाँकी बा (सन २००९ के जनवरी तक के स्थिति अनुसार)।

संविधान सभा के चुनौती

नयाँ संविधान सभा के समक्ष स्थानीय स्वायत्त शासन एगो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्जना कइले बा। खास कके राज्य पुनः संरचना के सम्बन्ध में जारी बहस के सन्दर्भ में सशक्त आ स्वायत्त स्थानीय निकाय के संवैधानिक प्रत्याभूति सम्बन्धी विशेष बहस-बतकही आवश्यक बा। दू तह के संघीय पद्धति स्थानीय स्वायत्त शासन भा स्थानीय सरकार के अवधारणा के पुनः स्थापित ना कर सकेला। संघीय राज्य संरचना के तीसरका तह के रूप में स्थानीय स्वायत्त शासन के आपन पृथक स्थान बा। प्रभावकारी शासनयुक्त पद्धति संघीय पद्धति के उद्देश्य सब हासिल करेके दिशा में मद्दत कर सकेला।

एह कारण से स्थानीय स्वायत्त शासन के सन्दर्भ में संविधान सभा द्वारा सम्बोधन होखेवाला कुछ सूत्र निम्नानुसार बा :

» प्रभावकारी स्थानीय स्वायत्त शासन के प्रत्याभूति करे खातिर स्थानीय निकायन के कौन कौन शक्ति भा अधिकार विकेन्द्रित भा निक्षेपित कइल जाएके चाहीं ?

» संविधाने में समावेश कइल जाएवाला स्वायत्त शासन के आधारभूत तत्व आ कानून द्वारा निर्धारण होखेवाला तत्व सब कौन कौन ह (राष्ट्रीय आ उप-राष्ट्रीय स्तर पर) ?

» स्थानीय निकायन के लोकतान्त्रिक आ समावेशी चरित्र के अधिकतम बनावे खातिर स्थानीय निकायन खातिर कइसन निर्वाचन प्रणाली अपनावेके चाहीं ?

» स्थानीय निकायन के संरचना के तह केतना आ कौन प्रकार के होखेके चाहीं ? विद्यमान स्थानीय निकायन के सन्दर्भ में कइसन नवाँ व्यवस्था होखेके चाहीं आ एकनी के बीच में कइसन अन्तरसम्बन्ध होखेके चाहीं ?

» वित्तीय स्वायत्तता प्रत्याभूत करे खातिर स्थानीय निकायन के आर्थिक, श्रोत (कर, शुल्क, रकमान्तर) सम्बन्धी प्रश्न ।

» संविधान अर्न्तगत स्थानीय निकायन के कौन कौन विधायिकी आ न्यायिक अधिकार सब देहल जाएके चाहीं ?

» स्थानीय निकायन खातिर कर्मचारी भर्ती करेके प्रशासनिक स्वायत्तता भा राज्य से ही निजामती कर्मचारी सब खटावेके व्यावहारिकता सम्बन्धी मामला ।

» विकास प्रक्रिया में पछुआइल महिला आ सीमान्तीकृत क्षेत्रन के सहभागिता आ प्रतिनिधित्व खातिर कौन कौन विशेष पहल करेके आ संयन्त्र बनावेके चाहीं ?

» स्थानीय निकायन के विद्यमान सीमा, बनावट आ संगठनात्मक स्वरूप में परिवर्तन खातिर आवश्यक ढाँचा ।

» संघीय पद्धति में स्थानीय आ उप-राष्ट्रीय सरकार आ स्थानीय आ केन्द्रीय सरकार के बीच के अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी मामला ।

पुस्तिका-श्रृंखला के सम्बन्ध में

संविधान सभा के सदस्य लोग आ इच्छुक सर्वसाधारण के संविधान निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में आधारभूत जानकारी करावले एह पुस्तिका-शृङ्खला के उद्देश्य ह । एह प्रकाशन सब के संवैधानिक परिणाम के बारे में कौनो किसिम से पूर्व अनुमान करेवाला अवधारणपत्र भा प्रस्ताव भा मनसाय नइखे । ई शृङ्खला संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के ‘नेपाल में सहभागितामूलक संविधान निर्माण खातिर सहयोग (एसपीसीबीएन) परियोजना’ के समन्वय में नेपाली आ अन्तरराष्ट्रिय संविधानविद् लोग के सामूहिक प्रयास के प्रतिफल ह ।

एह पुस्तिका सब के आउर परिस्कृत बनावे वास्ते प्रतिक्रिया आ टिप्पणी खातिर विशेष अनुरोध कइल जा रहल बा । बेसी से बेसी सुसूचित, प्रतिवद्ध आ रचनात्मक बतकही के प्रोत्साहित करे में एह प्रकाशन सब के सफल भइले पर अपेक्षित उद्देश्य हासिल हो सकेला । प्राप्त टिप्पणी सब के आधार पर एह पुस्तिका सब के नया आ अतिरिक्त संस्करण तइयार कइल जा सकेला ।

एह शृङ्खला के नेपाल के कुछ प्रमुख राष्ट्रभाषा में अनुवाद करेके क्रम में उच्च गुणस्तर कायम राखत सम्बन्धित भाषा के बहुसंख्यक मातृभाषी लोगन के समझ में आवेवाला सही शब्दावली के प्रयोग करेके पूरा प्रयास कइल गइल बा । शब्दावली के उपयुक्त आ सही प्रयोग के बारे में विभिन्न भाषिक समुदायन के बीच में भविष्य मे बतकही आ बहस होएके अपेक्षा कइल जा सकेला । संवैधानिक संवाद केन्द्र के उद्देश्य अइसन बहस के कौनो प्रकार से ओझल कइल ना होके ओह भाषा सब के भी समावेश कके एह प्रयास मे समावेशीकरण आ पहुँच के अधिकतम वृद्धि कइल ह ।

ई पुस्तिका देश में संविधान निर्माण से सान्दर्भिक विषयवस्तु के सम्बन्ध में संवैधानिक संवाद केन्द्रद्वारा तइयार कइल जा रहल शृङ्खलावद्ध पाठ्यसामग्रियन के एगो अंश ह ।

सभासद लोग के साथे एह विषयवस्तु से मतलब राखेवाला सर्वसाधारण लोग के प्रमुख संवैधानिक अवधारणा आ मुद्दा सब में सरिक करावल एह शृङ्खलावद्ध प्रकाशन के उद्देश्य ह । शृखला अन्तर्गत के हर पुस्तिका नेपाल मे बोलल जाएवाला प्रमुख भाषा सब (नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, मगर, तामाङ, नेवार) आ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध बा। एह पाठ्यसामग्रियन के श्रव्य संस्करण (कैसेट, सिडी) भी उपलव्ध भइला के अलावा एह सब सामग्रियन के ऑनलाइन पर भी राखल गइल बा ।

पहिल चरण में एह प्रकाशन शृङ्खला में समीटल जाएवाला विषयवस्तु एह प्रकार बा : राज्य आ धर्म, संघीय प्रणाली, संविधान में मानव अधिकार, आदिवासी जनजाति के अधिकार, अल्पसंख्यक लोग के अधिकार, सरकार के प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण आ सहभागीतामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र
तीसरा तला, अल्फा वेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर काठमाडौ
टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८
ई-मेल : **info@ccd.org.np**
वेबसाइट : **www.ccd.org.np**